न्या० उपखण्ड अधिकारी उच्चैन मु.न. 121/2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रघुराज बनाम रमेश वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/9/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० पुनः बहस हेतु समय चाहा है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
23/9/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
30/9/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 28/10/24 को पेश हो।
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/11/24 को पेश हो। Rahul
6/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/11/24 को पेश हो। Rahul
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को तहसीलदार बाद मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं कच्चा पक्का निर्माण न करें। विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रा० है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Rahul. उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 121 / 2024

रेशम पत्नी स्व0 रामजीलाल जाति कुशवाह निवासी जुगला पट्टी तहसील उच्चैन।
.....प्रार्थी

बनाम

रमेश पुत्र खजेडा जाति कुशवाह निवासी जुगला पट्टी तहसील उच्चैन।
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए।

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी

दिनांकः—19.11.2024

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थीनी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी तथा स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 915/372 रकवा 7 बीघा 01 विस्वा वाके ग्राम जुगला पट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रार्थीया के पति रामजीलाल के नाम हो रहा है तथा प्रार्थीया के पति रामजीलाल की मृत्यू हो चुकी है एवं विरासतन नामान्तरण अभी प्रार्थीया के नाम दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी आवादी क्षेत्र के नजदीक आ गई है जिसके चलते उक्त आराजी अव कीमती हो गई है उक्त आराजी की कीमत को देखते हुये अप्रार्थीगण की नीयत में अव वदयान्ती आ रही है एवं अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतू प्रतिवादी उक्त विवादित आराजी पर जवरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करना चाहते है। दिनांक 25.03.2017 को जव प्रार्थीनी अपनी उक्त आराजी की देखभाल कर रही थी अचानक अप्रार्थी मौके पर आ गया एवं मेरी आराजी के अन्दर आकर पुख्ता निर्माण हेतू नींव खोदना आरम्भ कर दिया मना करने पर अप्रार्थी मारने पीटने पर उतारू हो गये एवं एलानिया धमकी दी कि हम तो तेरी इस आराजी पर जवरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करेंगे। उक्त धमकी के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पर न्यायालय पेश कर अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति वनाये रखने हेतू पावंद किये जाने का निवेदन किया है।

Rahul Shrivastava
19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.11.2018 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक प्रार्थीया की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीया ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी आवादी से लगी हुई है एवं इस आराजी के पश्चिम में अप्रार्थी की आबादी भूमी है अप्रार्थी आवादी भूमी की आड में मेरी भूमी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अप्रार्थी बावजूद तामील अदालत में उपस्थित नहीं हुआ है। अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि ताफैसला वाद मेरी खातेदारी की आराजी में किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

मेरे द्वारा प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी में प्रार्थीया के पति स्व0 रामजीलाल सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है(मुताविक जमावंदी सम्वत् 2072–2075) एवं अप्रार्थी बाबजूद प्रोपर तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थीया के हक में सावित होते है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को ताफैसला बाद इस आशय की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 915/372 रकवा 7 बीघा 01 बिस्वा बाके ग्राम जुगला पट्टी तहसील उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2072–2075) में किसी भी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava 19/11/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)